स्मार पत्र

सं0सं0 7 / विविध–26–03 / 12...../
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

आवश्यक

सेवा में,

अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।
निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना /
निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना /
निदेशक, राजेन्द्र नगर अस्पताल, राजेन्द्रनगर, पटना / निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना।
सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ।
सभी सिविल सर्जन, बिहार ।
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।
सहायक निदेशक फायलेरिया, बिहार, पटना।
अपर निदेशक–सह–नियंत्री पदाधिकारी, मलेरिया / कुष्ठ एवं यक्ष्मा।
अधीक्षक, महारानी जानकी कुंवर अस्पताल, बेतिया।
अधीक्षक, प्रभावती अस्पातल, गया।
अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी ।
अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, गया।
संयुक्त खाद्य नियंत्रक, बिहार, पटना।
अधीक्षक, यक्ष्मा अस्पताल, कोईलवर।

पटना, दिनांकः–

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12 और आगे के वर्षो में वित लेखे में बचनबद्ध दायित्वों की विवरणी भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–43(7) दिनांक 19.6.12 एवं स्मार पत्रांक–82(7) दिनांक–19.07.12 का निदेश किया जाय । उक्त पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12 और आगे के वर्षो में गैर योजनान्तर्गत वित लेखे में बचनबद्ध दायित्वों यथा वेतन, पेंशन, सूद आंतरिक ऋण, कार्यालय व्यय इत्यादि विपत्रों के भुगतान हेतु लंबित राशि से संबंधित विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अभीतक वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है । यह स्थिति खेदजनक है । इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार के स्तर पर गत माह में हुई समीक्षात्मक बैठक हुई थी, जिसमें प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण विभाग को अन्यथा स्थिति का सामना करना पड़ा ।

अतः वांछित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय, ताकि इसे शीध्र महालेखाकार, बिहार तथा वित विभाग, बिहार, पटना को भेजा जा सके तथा मुख्य सचिव, बिहार की अगली समीक्षात्मक बैठक हेतु सामेकित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके ।

इसे अत्यावश्यक समझे ।

विश्वासभाजन

अनु0–वित विभागीय पत्रांक–01 दि. 02.01.12
एवं विहित प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न ।

ह0 /
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–7 / विविध–26–03 / 12...121(7) /स्वा0,पटना, दिनांकः– 06-9-12

प्रतिलिपिः– प्रशाखा–10, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–309(10) दिनांक 30.5.12 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

5/9/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\2012 2013 file\letters\libility letter.doc

पत्र संख्या– अ0पा0–53/2011 – 01 पटना, दिनांक: 02.01.2012

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग ।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना ।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2011–12 के आगे के वर्षों में वित्त लेखे में वचनबद्ध दायित्वों की विवरणी देने के संबंध में ।

महाशय,

आप अवगत है कि बिहार राज्य का वित्त लेखा प्रत्येक वर्ष भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रकाशित कराया जाता है । राज्य के लेखे महालेखाकार (ले0ह0) कार्यालय में संधारित होते है । महालेखाकार कार्यालय में लेखों के संधारण का आधार ट्रेजरी कार्यालय/प्रमंडलों से प्राप्ति एवं व्यय के लिए प्राप्त अभिश्रव/चालान है, इसके अतिरिक्त भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर इत्यादि से प्राप्त सूचनाओं का समावेश महालेखाकार कार्यालय में किया जाता है । वर्त्तमान में राज्य के लेखे नगद भुगतान के आधार पर संधारित होते हैं। सिर्फ भविष्य निधि मद के सूद के भुगतान की राशि उपचय(Accrual) के आधार पर प्रविष्टि की जाती है ।

12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्त लेखे में नये आठ परिशिष्ट शामिल किये जाने है, उनमें से एक परिशिष्ट वचनबद्ध दायित्वों की विवरणी के संबंध में है। वचनबद्ध दायित्व में वैसी देयत्ताओं को प्रदर्शित करना है, जिसमें राज्य सरकार को भुगतान करने की बाध्यता हो और भुगतान करने का दायित्व भी राज्य सरकार का बन गया है और किसी कारण से राशि का भुगतान नही किया जा सका है । उदाहरणस्वरूप, अगर किसी कर्मचारी का छुट्टी का बकाया वेतन वर्ष 2010–11 का भुगतान करना है, किंतु वेतन–पुर्जा के अभाव में या किसी अन्य कारण से वेतन का भुगतान नही किया जा सका हो तो वैसी राशि को वर्ष 2010–11 के वचनबद्ध दायित्व की श्रेणी में माना जायेगा। कार्यालय में किसी प्रकार की सामग्री का क्रय किया गया हो और किसी कारण से राशि का भुगतान 2010–11 में नहीं किया जा सका हो तो उस राशि को भी 2010–11 का वचनबद्ध दायित्व माना जायेगा। अन्य मदों सूद, पेंशन इत्यादि में भी अगर कोई राशि 2010–11 से संबंधित भुगतान होनी है और किसी कारण से भुगतान नही हो पायी हो तो उसे वचनबद्ध दायित्व की श्रेणी में माना जाना है।

महालेखाकार कार्यालय के पत्र संख्या–288 दिनांकः 25.08.2011 से वचनबद्ध दायित्त के अंतर्गत पांच श्रेणियों में सूचना देने का अनुरोध किया गया है । उक्त् श्रेणियों के अंतर्गत पहली सूचना, गैर योजना मद में, वेतन, पेंशन, सूद, आंतरिक ऋण, कार्यालय व्यय इत्यादि विपत्रों के संदर्भ में है। दूसरी श्रेणी में, केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यांश, जो वर्ष में दिया जाना अपेक्षित था और किसी कारण से वर्ष में भुगतान नही किया जा सका हो, को दर्शाना है। तीसरी श्रेणी में, वैसी परियोजनाओं से उत्पन्न दायित्व, जो राज्य योजना से गैर योजना शीर्ष में हस्तांतरित की गयी हो, को प्रदर्शित करना है। चौथी श्रेणी में, वैसी परियोजनाएं, जिनका कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है और उससे संवेदक/आपूर्तिकर्त्ता को राशि का भुगतान वर्ष के अंदर किया जाना था, किंतु किसी कारण से राशि का भुगतान नही किया जा सका हो, को दिखलाया जाना है। पांचवी श्रेणी के अंतर्गत अन्य/विविध प्रकार के वचनबद्ध दायित्व, जो उपरोक्त चारों श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सका हो, को दिखलाया जाना है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा वचनबद्ध दायित्व के लिए एक विहित प्रपत्र निर्धारित किया गया है, जो संलग्न है।

अनुरोध है कि महालेखाकार कार्यालय को दिनांकः 28.01.2012 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 का वचनबद्ध दायित्व से संबंधित वांछित सूचनाएं विहित प्रपत्र में भेज दी जाय और 2011–12 और आगे के वित्तीय वर्षों के लिए मई के प्रथम सप्ताह तक अवश्य भेजवा देने की कृपा की जाय। भेजी गई सूचनाओं की एक प्रति वित्त विभाग में भी भेजी जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त्

विश्वासभाजन,

2/1/2012

(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 309(10), दिनांक : 30-5-12
10/विविध-16-22/12

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा-7/प्रभारी पदाधिकारी, शाखा-1/श्री अशोक कुमार गुप्ता सहायक, प्रशाखा-10 को सभी अनुलग्नकों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विहित प्रपत्र में वांछित सूचना के साथ प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(विश्वनाथ ठाकुर),
संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

श्री चाफ जी

86
7-6-12

Annexure I

Statement on Committed Liabilities of the State in Future

(As on 31.3.200)

(Rs in crore)

S. No.	Nature of the Liability	Amount (Rs in crore)		Likely Sources from which proposed to be met			Likely year of the discharge	Liabilities discharged during the current year	Balance Remaining
		Plan	Non-Plan	States Own Resources	Central Transfers	Raising Debt (Specify)			
I	Accounts Payable*								
1									
2									
3									
.									
	Total								
II	State's Share in Centrally Sponsored Schemes								
1									
2									
3									
.									
	Total								
III	Liabilities in the form of transfer of Plan Schemes to Non-Plan Heads								
1									
2									
3									
.									
	Total								
IV	Liabilities Arising from Incomplete Projects								
1									
2									
3									
.									
	Total								
V	Others/Miscellaneous								
1									
2									
3									
.									
	Total								
Grand Total									

*Accounts payable includes the committed liabilities in the form of non-plan salary expenditure, pensions, interest payments, accrued debt, bills pending for payments etc.